मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग
प्रथम तल,विन्ध्याचल भवन,भोपाल–462004

//अधिसूचना //

भोपाल,दिनाक 04 /03/2020

फा0कमांक–1527/21–ब(दो) 2020, राज्य शासन, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (क्र. 33 सन् 1989) की धारा 14 के अंतर्गत स्थापित विशेष न्यायालय, जिला छिन्दवाडा के लिये उक्त अधिनियम की धारा 15 के अंतर्गत श्री मोहम्मद आरिफ खान,अधिवक्ता (नामांकन क्र. एम.पी 09/1995, दिनांक 13.01.1995) को विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करता है। श्री मोहम्मद आरिफ खान, अधिवक्ता की उक्त विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्ति आदेश दिनांक से 3 वर्ष की अवधि अथवा उनकी जन्म तिथि दिनांक 02.11.1964 के आधार पर उनके द्वारा 62 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक, इनमे से जो पहले हो, के लिये होगी तथा यह नियुक्ति बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकेगी।

श्री मोहम्मद आरिफ खान, अधिवक्ता, छिन्दवाडा को ऐसे विशेष लोक अभियोजक के रूप मे कार्य के लिये देय शुल्क आदि विधि और विधायी कार्य विभाग के आदेश कमांक 1(सी)एट्रोसिटी/21–ब(दो), दिनांक 24/09/2018 के अनुरूप देय होंगे एवं इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29–मुख्य शीर्ष–2225–अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातिया तथा अन्य पिछडे वर्गो का कल्याण (01) अनुसूचित जातियो का कल्याण (800)–अन्य व्यय–0703–केन्द प्रवर्तित योजना अनुसूचित जाति उपयोजना (सबस्कीम) योजना (5171)–विशेष न्यायालयों की स्थापना–31–व्यावसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां की उपमद–003–अभिभाषकों को फीस के अंतर्गत विकलनीय होगा। जिसका भुगतान उक्त शीर्ष से संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा किया जायेगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

(गोपाल श्रीवास्तव)
सचिव
मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग,

पृ0कमांक 1527/21–ब(दो),20

भोपाल, दिनाक 04 /03/2020

प्रतिलिपि:–

(1) रजिस्ट्रार जनरल, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर, (म.प्र.)
(2) आयुक्त जबलपुर संभाग जबलपुर, (म.प्र.)
(3) जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छिन्दवाडा (म.प्र.)
(4) कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, छिन्दवाडा (म.प्र.)
(5) प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल,
(6) प्रमुख सचिव, गृह (पुलिस) विभाग, मंत्रालय, भोपाल, (म.प्र.)
(7) संचालक, लोक अभियोजन, संचालनालय, भदभदा रोड़, भोपाल, (म.प्र.)
(8) निज सचिव,माननीय विधि मंत्री जी के, भोपाल,
(9) बजट शाखा, विधि विभाग, भोपाल, (म.प्र.)
(10) श्री मो0आरिफ खान पिता एस.के.हयात खान,वार्ड नं0–5,खान कॉलोनी, थाना कोतवानी छिन्दवाडा (म.प्र.)
(11) उप नियंत्रक शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय,भोपाल की ओर म.प्र. राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ,
(12) आई0टी0शाख्स विधि विभागकी ओर वेबसाइट पर अपलोड करने एवं दर्ज सूची अद्यत करने हेतु

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

4.3.20
(संतोष प्रसाद शुक्ला)
अतिरिक्त सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

High Court of Madhya Pradesh
JABALPUR
17 MAR 2020
Reg No. 338
Receipt Clerk
High Court Jabalpur